16.11.22

12.10.22

पत्रावली पेश हुई। वकीलपार्टी उपस्थित। अपीलार्थी वादकुर्क सूचना के उपरान्त नहीं होने से एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहाइत दिनांक 16.11.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

16.11.22

पत्रावली में वादी व वादी/प्रतिवादी उपस्थित है/न[redacted] [redacted] राजकार्य में आज [redacted] व्यस्त[redacted] [redacted] हो।
अतः [redacted]

28.11.22

न्यायालय एस.डी.ओ., [redacted]

28/11/22

पत्रा[redacted] [redacted]वादी उपस्थित [redacted] [redacted]जिकार्य में [redacted] 5/12/22 [redacted] हो।

न्यायालय एस.डी.ओ., [redacted]

5/12/22

पत्रावली पर ई/वकील पार्टी उपस्थित। उक्त पत्रावली के वाद पत्र का निस्तारण होने के अंकित पत्र का कोई औचित्य नहीं होने के अंकित पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली रिकॉर्ड पुराना होकर नस्ती के कक्ष हो।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner